

केरल रोड लाईन्स

बनाम

आय कर आयुक्त, कोचीन

(सिविल अपील संख्या 5308-5309/2002)

12 मार्च 2008

(अशोक भान और जे.एम. पंचाल जेजे.)

आय कर अधिनियम 1961

धारा 37 - व्यवसायिक व्यय की कटौती राशि खरीद के सम्बन्धित विलम्बित भुगतान पर निर्धारित द्वारा भुगतान की गई राशि भूमि की खरीद के लिये समझौता करना आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने राशि को सही ठहराया और धारा 37(1) के अन्तर्गत ब्याज की राशि को व्यय के रूप में रखा।

निर्धारिती ने भूमि खरीदने के लिये एक समझौते के अनुसार ब्याज का भुगतान किया, जिसके प्रतिफल में विलम्ब के भुगतान के लिये निर्धारिती ने चार लाख रुपये की राशि का राजस्व व्यय के रूप में दावा किया। मुल्यांकन प्राधिकरण द्वारा ब्याज के भुगतान को पूंजीगत व्यय मानते हुए दावे को अस्वीकार कर दिया। आयकर आयुक्त द्वारा आदेश की पुष्टि करदाता की सहयोगी कम्पनीयों को बेची गई भूमि के संबंध में ब्याज के संबंध में की गई थी और करदाता द्वारा रखी गई भूमि के लिये आंशिक राहत दी गई। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने निर्धारिती की अपील को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि उसने कोई जमीन खरीदने के लिये एक समझौता किया था, जिसमें उसने खडी इमारतें भी शामिल थी। जिसे निर्धारिती द्वारा ध्वस्त कर दिया गया और अनुपयोगी सामग्री के रूप में उसको बेच दिया गया था और चूंकि उक्त बिक्री मूल्य

को व्यवसायिक आय माना गया था, इसलिये निर्धारिती द्वारा चार लाख रुपये के ब्याज का भुगतान किया गया था जो एक संविदात्मक दायित्व होने के नाते आयकर अधिनियम 1961 की धारा 37 के तहत व्यय था। राजस्थान उच्च न्यायालय में दो संदर्भ दिए गए थे एक राजस्व के उदाहरण ब्याज के लिए निर्धारिती के दावे के संबंध में राजस्थान व्यय अंतर्गत धारा 37 के रूप में माना जायेगा और दूसरा निर्धारिती के कहने पर धारा 256(1) के तहत पारित अपने आदेश को सुधारने के लिये न्यायाधिकरण की शक्ति के संबंध में बाद में उच्च न्यायालय ने निर्धारिती के खिलाफ अपने पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए जबाब दिया था, जिसके खिलाफ विशेष अनुमति की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करदी थी और फिर व्यथित होकर के निर्धारिती ने सन 2002 में 5308 नम्बर दायर किया।

अधिनियम की धारा 37 के संदर्भ में उच्च न्यायालय ने माना कि निर्धारिती परिवहन व्यवसाय में था, इसलिये भूमि की खरीद पर विलम्ब से भुगतान पर दिया गया ब्याज धारा 37(1) के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आएगा और निर्धारिती ने इस आदेश को 2002 के दीवानी अपील संख्या 5309 में चुनौती दी गई।

न्यायालय ने 2002 के दीवानी अपील संख्या 5309 को अनुमति देते हुए 2002 के सीए नं. 5308 को खारिज करते हुए माना कि: 1. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि भूमि पर खडे हुए बनावट को ध्वस्त करने के बाद अनुपयोगी सामग्री की बिक्री को निर्धारिती के लिये व्यवसाय आय माना गया था। इन मामलों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण ने यह सही माना कि चार लाख रुपये का भुगतान जो कि संविदात्मक दायित्व था जो जो व्यवसायिक व्यय भी होगा। उच्च न्यायालय द्वारा इसके विपरीत निष्कर्ष दिया गया और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया और न्यायाधिकरण ने आय पर विचार किया और राजस्व व्यय के रूप में चार लाख रुपये की वसूली की जाती है। (पैरा 11)(47-ई,

एफ;48-अ) एन आयकर अधिनियम की धारा 256(1) के तहत पारित आदेश को सुधारने के लिये न्यायाधिकरण की शक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के मददेनजर कहा कि 1961 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और जिसे माना है। (पैरा 4)(45-ग, घ)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 5308/2002।

एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय 1999 के आईटीआर नं. 310 में पारित अन्तिम निर्णय व आदेश 2001 से।

और

सिविल अपील सं. 5309/2002

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

अपीलकर्ता- कृष्णण वेणुगोपाल और ए.रघुनाथ

प्रतिवादी की ओर से- टी.एस. डोबिया, ओ.पी. श्रीवास्वत(बी.वी. बलराम दास) अशोक भान, जे. अपीलकर्ता निर्धारिती (निर्धारिती के रूप में संदर्भित) द्वारा केरल उच्च न्यायालय द्वारा एक सामान्य फैसले के खिलाफ अदालत की अनुमति से एर्नाकुलम में 1997 के आयकर संदर्भ सं. 234/1997 और 310/1999 दायर की गई है।

2. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण कोचीन द्वारा 1997 के आईटीआर सं. 234 में राजस्व के उदाहरण निम्नानुसार दो प्रश्नों की राय के लिये उच्च न्यायालय को भेजा गया:-

“1. क्या मामले की तथ्य व परिस्थितियों के आधार पर न्यायाधिकरण का यह मानना सही है कि करदाता आयकर अधिनियम की धारा37 के तहत राजस्व व्यय के रूप में निर्धारिती ब्याज की पूरी राशि काटने का हकदार है...?”

2. क्या मामले के तथ्य और परिस्थितियों के साथ साथ दिनांक 27.09.93 के समझौती की व्याख्या के आधार पर न्यायाधिकरण का मानना सही कि निर्धारिती न केवल अग्रिम राशि जब्त कर लेगा बल्कि अपना पक्ष भी बरकरार रखेगा और नागरिक और आपराधिक कार्यवाही के अधीन उक्त संविदा के रूप में ब्याज के भुगतान की अनुमति देगा...?

3. निम्नलिखित दो प्रश्न आय अपीलिय न्यायाधिकरण कोचीन के उदाहरण पर उच्च न्यायालय को 1999 के आईटीआर नं0 310 में निर्धारिती के कहने पर उसके राय जानने के लिये उच्च न्यायालय को भेजा गया था।

“1. क्या न्यायाधिकरण धारा 256 ए के तहत पारित आदेश को इस आधार पर सुधारने में सही था- क्या रिकार्ड से कोई गलती स्पष्ट हुई ?

2. क्या न्यायाधिकरण यह मानने में सही था कि उसके पास न्याय प्रदान करने के लिये धारा 256 ए के तहत आदेश को सुधारने के लिये अंतर्निहित शक्ति है।

4. आईटीआर 310 में उच्च न्यायालय के संदर्भित प्रश्न निर्धारिती के कहने पर राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के खिलाफ उत्तर दिया गया था जो आईटीआर नं0 61/1997, 275/1999 और 1996 के ओपी नम्बर 20583 में पारित अपने पहले का फैसला दिनांक 31.10.01 पर निर्भर था। हमारे नोटिस में यह लाया गया है कि दिनांक 31.10.01 के फैसले पर भरोसा करते हुए आईटीआर नं. 61/1997, 275/1999 और 1996 के ओपी नम्बर 20583 में पारित किया गया था। निर्धारिती के द्वारा इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकाएँ दायर की, जिन्हें न्यायालय ने खारिज कर दिया। चूंकि इस न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिकाएँ खारिज करदी थी, इसलिये जहां तक निर्धारिती के कहने पर 1999 में आईटीआर सं. 310 से सम्बन्धित प्रश्नों का संबंध है और हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप

करने के इच्छुक नहीं हैं तदानुसार 1999 के आईटीआर सं. 310 के खिलाफ दायर 2002, सिविल अपील सं. 5308 को खारिज कर दिया गया है।

5. सिविल अपील संख्या 5309/2002 पर निर्णय लेने के लिये जिसमें विवाद के गुणावगुण को चुनौती दी गई, जिसमें विवाद के कुछ तथ्यों को उल्लेख करना आवश्यक है, जो निम्नानुसार हैं:

निर्धारिती ने मैसर्स के साथ एक समझौता किया, जिसमें पियर्स लेस्ली (भारत) लिमिटेड ने दिनांक 27.09.83 को कालीकट में इमारतों सहित 466 सेन्ट भूमि खरीद के लिये इस बात पर सहमत हुआ कि विक्रय अभिलेख या तो निर्धारिती या उसके नामांकित व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित किया जावेगा। समझौते के अनुसार यह विनिर्दिष्ट समय के भीतर खरीद मूल्य का भुगतान नहीं किया गया तो निर्धारिती 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी था। भूमि पर जो खड़ी इमारतें थी, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया और स्क्रैप सामग्री 5,88,001/- रुपये में बेच दिया गया और इस आय को व्यवसायिक आय माना गया और समझौते के तहत उक्त विलम्ब के लिये भुगतान के लिये चार लाख रुपये ब्याज देने के लिये कहा गया तो निर्धारिती ने इस राशि का भी राजस्व व्यय के रूप में दावा किया।

मुल्यांकन प्राधिकारी ने निर्धारिती के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि सम्पत्ति की खरीद पर ब्याज का भुगतान पूंजीगत व्यय की प्रकृति में होगा ना कि राजस्व व्यय के रूप में कर निर्धारण प्राधिकारी के इस आदेश की पुष्टि आयकर आयुक्त ने की और यह माना कि निर्धारिती का इरादा व्यापारित प्रकृति में एक साहासिक कार्य में प्रवेश करना था और अन्त में निर्धारिती ने केवल 65.57 सेंट भूमि अपने पास रखी थी और शेष भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में निर्धारिती की सहयोगी कम्पनियों द्वारा खरीदी गई थी, तब यह माना गया कि निर्धारिती और अन्य सहयोगी

संस्थाओं के लिये मध्यस्थ था। इसलिये सहयोगी संस्थाओं को बेची गई भूमि के संदर्भ में ब्याज का हिस्सा राजस्व व्यय के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती थी और आयकर आयुक्त ने आंशिक राहत दी और उसके द्वारा रखी गई 65.57 सेंट भूमि पर ब्याज की अनुमति दी गई।

6. निर्धारिती ने व्यथित होकर आयकर अपील न्यायाधिकरण कोचीन बेंच (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') के समक्ष अपील दायर की। न्यायाधिकरण ने अपील स्वीकार कर ली और सीआईटी द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और यह माना गया कि निर्धारिती ने उस पर खड़ी इमारतों सहित पूरी सम्पत्ति खरीदने के लिये एक समझौता किया था और इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया और इस पर खड़ी संरचना को कवाड सामग्री के रूप में 5,88,001/- रुपये में बेच दिया गया। इस राशि व्यवसायिक आय के रूप में मुल्यांकन के लिये पेश किया गया था और उसी रूप में इसका मुल्यांकन किया गया था। खरीद के संबंध में अपीलार्थी से विलम्बित भुगतान के लिये चार लाख रुपये ब्याज का भुगतान उक्त समझौते में प्रदान किया गया जो कि एक संविदात्मक दायित्व था। न्यायाधिकरण द्वारा यह माना गया कि ब्याज के भुगतान को आयकर अधिनियम की धारा 37 के तहत व्यय के रूप में देखा जाना चाहिये 1961 की धारा 37 खासकर ध्वस्त संरचनाओं व कवाड सामग्री की बिक्री की आय को व्यवसायिक आय के रूप में माना गया है अतः ब्याज की कटौती के लिये निर्धारिती के दावे की अनुमति दी गई।

7. उक्त आदेश से व्यथित होकर निर्धारिती द्वारा राजस्व अधिनियम की धारा 256 (1) के तहत आवेदन दायर किया। तदानुसार जैसा उपर उल्लेख किया गया है, उसके दो प्रश्न निर्धारिती के अनुरोध पर साथ ही राजस्व के रूप के रूप में संदर्भित किये गये हैं।

8. जहां तक 2002 की सिविल अपील सं. 5308 में निर्धारित के संदर्भित प्रश्नों का संबंध है, यह हम पहले मान चुके हैं कि दिनांक 31.10.01 के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिकाएँ आईटीआर सं. 61/1997, 275/1999 में पारित की गई थी। जिसके ओ.पी. नं. 20583 को इस न्यायालय ने खारिज कर दिया था। वर्तमान में उक्त अपील में हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

9. जहां तक गुणावगुण के मामले पर विवाद है, वह निर्धारिती की ओर से पेश किये गये तर्क में कुछ तथ्य हमें मिलते हैं कि इस सवाल का उच्च न्यायालय के द्वारा जबाब दिये बिना क्या व्यय की प्रकृति में पूंजी या राजस्व है। उक्त न्यायाधिकरण के फैसले को यह कहकर पलट दिया कि निर्धारिती रियल स्टेट का कार्य नहीं कर रहा था। निर्धारिती का कार्य केवल परिवहन था। इसलिये व्यय की धारा 37 (1) के प्रावधान के तहत कवर नहीं किया जावेगा।

10. उक्त पक्षों के वकील को सुना गया।

11. न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि भूमि पर खड़ी इमारतों को ध्वस्त करने के बाद कवाड सामग्री की 5,88,001/- रुपये का विक्रय कर आय निर्धारिती की व्यवसायिक आय के रूप में माना गया और यदि ऐसा है तो न्यायाधिकरण का कहना सही है कि ब्याज का भुगतान संविदात्मक था जो व्यवसायिक व्यय भी होगा। उच्च न्यायालय के द्वारा यह निष्कर्ष दर्ज करना कि एक बार जब राजस्व के व्यावसायिक आय के रूप में 5,88,001/- की राशि स्वीकार कर ली है और भूमि पर खड़ी संरचनाओं के अनुपयोगी सामान की विक्री की आय प्राप्त होती है तो तदानुसार निर्धारिती राजस्व व्यय के रूप में चार लाख रुपये राशि का दावा करने का हकदार होगा और यदि उक्त खरीद किये गये प्रतिफल का बिलम्ब से भुगतान पर ब्याज के रूप में भुगतान किया गया राजस्व व्यय है।

12. उपरोक्त कारणों से हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर देते हैं और चार लाख रुपये की आय को राजस्व व्यय मानते हुए न्यायाधिकरण के आदेश को बहाल करते हैं। तदनुसार प्रश्न सं. 1 का उत्तर निर्धारिती के पक्ष में राजस्व के विरुद्ध दिया गया है और प्रश्न सं. 2 का उत्तर निर्धारिती के पक्ष में राजस्व के विरुद्ध दिया गया है।

13. तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

सिविल अपील सं. 5309, 2002 में अनुमति दी गई।

और अपील सं. 5208/2002 खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक प्रतापसिंह मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।